रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 3873/2010

राजस्थान राज्य .. अपीलार्थी (गण)

बनाम

नेमी चंद महेला और अन्य ... .. प्रतिवादी (गण) के साथ

सिविल अपील संख्या 4491/2019

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4562/2012 से उत्पन्न)

निर्णय

संजीव खन्ना, न्यायाधीश

1. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4562/2012 में अनुमति प्रदान की गयी।

2. जैसा कि **कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**[1] में निर्देशित है भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत की सत्य और सही व्याख्या पर उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में परस्पर विरोधी विचारों के परिणामस्वरूप 1999 से उम्मीदवारों की इस पीड़ादायक और तीखे मुकदमेबाजी का कारण विकट परिस्थिति है। चार्ल्स

1(2002) 6 एससीसी 562

डिकेंस के शब्दों में मुकदमेबाजी का यह "बिजूका", समय के साथ इतना जटिल हो गया है कि कोई जीवित व्यक्ति नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है।"

3. वर्ष 1998–99 के दौरान राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों की जिला परिषदों में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग करने वाले उम्मीदवारों को बोनस अंक देने के निर्णय को राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने 18 नवंबर, 1999 को **कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य**, रिट याचिका (सिविल) संख्या 3928/1998 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था, इस कारण से कि किसी राज्य सेवा में सार्वजनिक रोजगार में जन्म स्थान, निवास या शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने के आधार पर किसी भी प्रकार का भारांक और लाभ अनुज्ञेय नहीं है। **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में पूर्ण पीठ ने **दीपक कुमार सुथार और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**[2] में पहले पूर्ण पीठ के फैसले का पालन किया था जिसमें राज्य संवर्ग में ग्रेड II और ग्रेड III शिक्षकों के चयन में बोनस अंक देने के लिए इसी तरह की शर्तों को असंवैधानिक करार दिया गया था। तथापि, **दीपक कुमार सुथार** (पूर्वोक्त) के मामले में, रिट याचिकाकर्ताओं को कोई पारिणामिक और ठोस राहत नहीं दी गई थी क्योंकि पहले, उनके पास योग्यता के आधार पर चयन का मौका नहीं था, भले ही सफल उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए जाने की अवहेलना की गई थी और दूसरा, इस प्रकार चयनित उम्मीदवारों को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

तदनुसार, **दीपक कुमार सुथार** (पूर्वोक्त) वाले मामले में पूर्ण न्यायपीठ ने अंतिम अनुच्छेद में निम्नलिखित निर्देश दिए थेः

> "44. मामले को उचित पीठ को भेजने के बजाय, हम इस निर्देश के साथ इस याचिका का निपटारा करना उचित

2(1999) 2 राजस्थान विधि रिपोर्टर 692

समझते हैं कि याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि वे शहरी क्षेत्र के निवासी होने के नाते 10 बोनस अंक प्राप्त करके भी मेरिट सूची में स्थान पाने में सफल नहीं हो सकते, जिसके वे निश्चित रूप से हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने चयनित सूची में से किसी भी व्यक्ति को पक्षकार नही बनाया है, यहां तक कि अंतिम चयनित उम्मीदवार को भी नहीं। इस प्रकार, उन्हें इस तथ्य के बावजूद कोई राहत नहीं दी जा सकती है कि आक्षेपित परिपत्र के अनुरूप की गई नियुक्तियां कानून के अनुरूप नहीं हैं। हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि पहले की गई कोई भी नियुक्ति इस निर्णय से प्रभावित नहीं होगी और यह भविष्यलक्षी रूप से लागू होगी।"

4. **दीपक कुमार सुथार** के मामले (पूर्वोक्त) के इन निर्देशों का **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में पूर्ण पीठ द्वारा पालन किया गया और रिट याचिकाओं के बैच का निस्तारण किया गया।

5. **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में पूर्ण पीठ के फैसले के बाद, **नवल किशोर** द्वारा सहित बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गईं। उनमें से कुछ, **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए प्रवतर्नशील निर्देशों के बावजूद, का निस्तारण अधिकारियों को यह निर्देश देकर किया गया था कि वे 21 अक्टूबर, 1999 को या उसके बाद बिना बोनस अंकों के नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की नई योग्यता सूची बनाकर तैयार करें। सुविधा के लिए हम इन मामलों को **नवल किशोर** के मामले के रूप में निर्दिष्ट करेंगे। **नवल किशोर** का मामला (पूर्वोक्त) 30 जुलाई, 2002 को तय किया गया था।

6. कै**लाश चंद शर्मा के** मामले (पूर्वोक्त) में पूर्ण न्यायपीठ का निर्णय और बिना बोनस अंकों के नई योग्यता सूची तैयार करने के निर्देश देने वाले कुछ निर्णय (लेकिन उन सभी मामलों में नहीं जहां ऐसे निर्देश जारी किए गए थे) विशेष अनुमति याचिकाओं में चुनौती का विषय बन गए, जिन्हें हमारे द्वारा उपर्युक्त अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट **कैलाश चंद शर्मा के मामले** (पूर्वोक्त) के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में स्वीकार किया गया और निर्णय दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जिलों के निवासियों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को बोनस अंक देना अस्वीकार्य भेदभाव है क्योंकि इस तरह के अधिमानी बर्ताव के लिए कोई तर्कसंगत आधार नहीं था। तत्पश्चात इस न्यायालय ने, अनुच्छेद 36 से, **दीपक कुमार सुथार के** मामले (पूर्वोक्त) में प्रवर्तनशील निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कैलाश चंद शर्मा के मामले (पूर्वोक्त) में विस्तृत और स्पष्ट रूप से राहत के सवाल पर विचार किया था। तथ्यात्मक मैट्रिक्स और दर्ज किए गए कई कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने महसूस किया कि प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करने की आवश्यकता थी और तदनुसार इस फैसले के अनुच्छेद 45 और 46 के तहत भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत को आंशिक रूप से लागू किया गया था, जो निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

> "45. एक और बिंदु जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। कुछ विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि चयन में भाग लेने और परिणाम की प्रतीक्षा करने के बाद, असफल आवेदक को चयन प्रक्रिया को उस हद तक चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो उनके हित के विरुद्ध है। यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे व्यक्तियों को वैवेकिक राहत नहीं दी जानी चाहिए। इस तर्क के समर्थन में **मदन लाल बनाम राज्य जम्मू–कश्मीर (1995) 3 एससीसी 486**

और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। दूसरी ओर, यह तर्क दिया गया है कि असंवैधानिक भेदभाव को चुनौती देने के मामले में उपमति, विबंध और इसी तरह के अन्य सिद्धांत लागू नहीं होते हैं और रिट याचिकाकर्ताओं से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे चयन से पहले आक्षेपित परिपत्र के संवैधानिक निहितार्थों को अच्छी तरह से जान लें। हम इस प्रश्न में जाने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि इस तरह की याचिका नहीं उठाई गई थी और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष कोई तर्क पेश किया गया था।

46. उपर्युक्त प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए और तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और सैद्धांतिक रूप से भविष्यलक्षी विनिर्णय की स्वीकृति के आलोक में प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हम राहत को केवल उन याचियों तक सीमित करना सही और उचित मानते हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और याचिकाकर्ताओं के दावों के अधीन किसी भी जिले में 18–11–1999 को या उसके बाद नियुक्तियां करने के लिए। तदनुसार, हम निर्देश देते है:

"1. 18–11–1999 को या उसके बाद नियुक्त किए गए उम्मीदवारों या चयन सूची में शामिल जिन्हें अभी नियुक्त किया जाना है के मुक़ाबले में रिट याचिकाकर्ताओं के दावों पर इस निर्णय के आलोक में नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। ऐसे विचार के आधार पर, यदि उन रिट

याचिकाकर्ताओं के पास 10 प्रतिशत बोनस अंक और/या 5 प्रतिशत अंक अपवर्जित होने की स्थिति में बेहतर योग्यता पाई जाती है, तो उन्हें 18–11–1999 को या उसके बाद नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को विस्थापित करके, यदि आवश्यक हो, नियुक्तियां की जानी चाहिए।

2. 17–11–1999 तक की गई नियुक्तियों को इस निर्णय में अधिकथित कानून के आलोक में फिर से खोलने और पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है

3. अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 542/2000 एतद्द्वारा खारिज की जाती है क्योंकि यह उच्च न्यायालय के फैसले के लगभग एक साल बाद दायर की गई थी और पूर्व मे उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाने के लिए, अनुच्छेद 226 के तहत, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।"

7. इस प्रकार, अनुपात के बावजूद, 18 नवंबर, 1999 से पहले की गई नियुक्तियों को बरकरार और सुरक्षित रखा गया। जिन रिट याचिकाकर्ताओं ने 18 नवंबर, 1999 से पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, वे 18 नवंबर, 1999 को या उसके बाद नियुक्त किए गए उम्मीदवारों के मुक़ाबले मे या चयन सूची में उन लोगों के साथ ऐसे नियुक्त/चयनित उम्मीदवारों को बोनस अंकों का लाभ दिए बिना, जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया था नए सिरे से विचार किए जाने के हकदार थे। केवल ऐसे रिट याचिकाकर्ताओं को, यदि वे 18 नवंबर, 1999 के बाद नियुक्त या चयनित सूची मे शामिल लोगों की तुलना में योग्यता के क्रम में उच्च पाए जाते हैं, तो ऐसे नियुक्त उम्मीदवारों को हटाकर, यदि आवश्यक हो, तो नियुक्ति की

पेशकश की जानी थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनी गई तारीख 18 नवंबर, 1999 वह तारीख थी, जिस दिन राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में अपना फैसला सुनाया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में पूर्ण न्यायपीठ के फैसले के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें बोनस अंकों के बिना नई मेरिट सूची तैयार करने, नई चयन सूची के अनुसार नियुक्ति आदि के निर्देश जारी किए गए थे। ये निर्देश, **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए अनुपात और निर्देशों के विपरीत होने के कारण महत्वहीन हो गए। इस हद तक, **नवल किशोर** मामले (पूर्वोक्त) और इसी तरह के अन्य मामलों में निर्णय को खारिज/ विवक्षित रूप से खारिज कर दिया गया।

8. **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में उपर्युक्त कथन और निर्देशों के बावजूद, यह स्पष्ट है कि कई मामलों में, **नवल किशोर** के मामले (पूर्वोक्त) के समान 17 नवंबर, 1999 के बाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में बोनस अंकों को छोड़कर अंकों की पुनर्गणना के लिए निर्देश जारी किए गए थे। यहां तक कि अवमानना की याचिकाएं दायर की गईं और इस तथ्य के बावजूद निर्देश जारी किए गए कि उक्त रिट याचिकाकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं ने 17 नवंबर, 1999 को या उससे पहले रिट याचिकाएं दायर नहीं की थीं, यानी जिस तारीख को **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) का निर्णय पूर्ण न्यायपीठ द्वारा लिया गया था। कुछ निर्णयों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस न्यायालय ने **कैलाश चंद शर्मा** के मामले में (पूर्वोक्त) ऐसे सभी उम्मीदवारों को राहत देने से इनकार नहीं किया था जिन्होंने 18 नवंबर, 1999 के बाद किसी भी समय रिट याचिका दायर की हो।

9. इस न्यायालय द्वारा **मनमोहन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**[3] और अन्य संबंधित मामलों में अपने फैसले में विवाद को संदेह से परे रखा गया था। **मनमोहन शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में तथ्यात्मक मैट्रिक्स और तर्कों से व्यापक रूप से निपटने के बाद, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

> "16. उपर्युक्त को सावधानीपूर्वक पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि (क) इस न्यायालय ने भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का आह्वान किया, जिसका तात्पर्य है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि केवल भावी चयनों और नियुक्तियों पर लागू होगी, (ख) यद्यपि भविष्यलक्षी विनिर्णय ने 18 नवम्बर, 1999 से पूर्व की गई नियुक्तियों को अछूता छोड़ दिया है, उच्च न्यायालय में आवेदन करने वाले याचिकाकर्ताओं को 18 नवम्बर, 1999 को या उसके बाद नियुक्त किए गए उम्मीदवारों के संबंध में या जो चयनित सूची मे हैं नए सिरे से विचार करना होगा ऐसे नियुक्त/चयनित उम्मीदवारों को परिपत्र के तहत बोनस अंकों का लाभ दिए बिना, और (ग) यदि वे 18 नवम्बर, 1999 के बाद नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की तुलना में योग्यता में श्रेष्ठ पाए जाते हैं, तो उन्हें बाद में हटाकर, यदि आवश्यक हो, नियुक्तियों की पेशकश की जाएगी।
>
> 17. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह दृढ़ता से तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 46 (पूर्वोक्त) में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "अपीलार्थी जो उच्च न्यायालय चले गए" पर्याप्त

3 दीवानी अपील सं. 4294/ 2014, 01 अप्रैल, 2014 को तय

व्यापक थी और वास्तव में न केवल उन रिट–याचिकाकर्ताओं को शामिल किया गया था, जिन्होंने कैलाश चंद शर्मा के मामले में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों के दो बैच में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था (पूर्वोक्त) लेकिन ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने 18 नवंबर, 1999 के बाद किसी भी समय रिट याचिका दायर की हो सकती है 30 जुलाई, 2002 के बाद ऐसी याचिका दायर करने वालों सहित, जब इस अदालत ने कैलाश चंद शर्मा के मामले (पूर्वोक्त) और संबंधित मामलों में अपील का फैसला किया।

18. हमें उस तर्क को प्रतिग्रहण करना कठिन लगता है। कैलाश चंद शर्मा (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में या उसके अनुच्छेद 46 में जारी किए गए निर्देशों में यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह न्यायालय 18 नवंबर, 1999 के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई किसी रिट याचिका के विचाराधीनता होने के बारे में या तो सचेत था या सूचित था। यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि इस न्यायालय ने अनुच्छेद 46 के तहत दिए गए निर्देश (1) के तहत दिए गए लाभ का विस्तार न केवल उन रीट–याचिकाकर्ताओं को करने का इरादा किया था जिन्होंने कैलाश चंद शर्मा के मामले में (पुर्वोक्त) उच्च न्यायालय का रुख किया था और नवल किशोर और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका में, बल्कि उन सभी लोगों को लाभ पहुंचाने का इरादा था जिन्होंने किसी भी समय उच्च न्यायालय का रुख किया था या कर चुके है। इसके विपरीत इस तथ्य का

सकारात्मक संकेत है कि न्यायालय का किसी भी अपीलकर्ता को लाभ देने का इरादा नहीं था जिसने 18 नवंबर, 1999 के बाद किसी भी स्तर पर प्रदत्त बोनस अंक और उसके आधार पर चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 542/2000 को इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 46 के तहत निर्देश (3) के संदर्भ में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसे उच्च न्यायालय के फैसले के लगभग एक साल बाद दायर किया गया। अभिव्यक्ति "जैसा कि यह उच्च न्यायालय के फैसले के बाद दायर किया गया है" अनुच्छेद 46 के तहत निर्देश (3) में प्रदर्शित होने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राहत देने के लिए इस न्यायालय के ध्यान मे केवल कैलाश चंद शर्मा के मामले (पूर्वोक्त) में फैसले से पहले केवल याचिका दायर की थी और वे नहीं जो 18 नवंबर, 1999 के बाद दायर की गयी थी, जब उक्त निर्णय सुनाया गया था। इस न्यायालय की यह टिप्पणी कि रिट–याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पूर्व में उच्च न्यायालय का दरवाजा न खटखटाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था, के भी दो अलग–अलग पहलू हैं, अर्थात्, (1) रिट याचिका संख्या 542/2000 मे रिट याचिकाकर्ताओ को सामान्य रूप से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था और (2) उन्हें ऐसा पूर्व में करना चाहिए था। इन कारणों में से उत्तरार्द्ध ने फिर से इस पर जोर दिया कि इस न्यायालय ने राहत प्रदान

करने के मामले में याचिका दायर करने में देरी को महत्व दिया
है जिन्होंने सही समय पर चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी,
उन्हें कोई राहत नहीं दी गई।"

10. **मनमोहन शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में न्यायपीठ ने पाया कि मामलों की दो श्रेणियां थीं; श्रेणी 1 में रिट याचिकाएं शामिल हैं जो 18 नवंबर, 1999 के बाद और 30 जुलाई, 2002 से पहले दायर की गई थीं और श्रेणी II में रिट याचिकाएं शामिल हैं, जो 30 जुलाई, 2002 के बाद दायर की गई थीं। तारीख 30 जुलाई, 2002 **नवल किशोर** के मामले (पूर्वोक्त) में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख है। दो श्रेणियों की ओर से उठाए गए तर्कों को अस्वीकार करते हुए, पीठ ने कहा कि **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का आह्वान करके प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया था, जिससे 17 नवंबर, 1999 को या उससे पहले की गई नियुक्तियों को सुरक्षित किया जा सके और केवल उन रिट याचिकाकर्ताओं को राहत दी जा सके जिन्होंने 18 नवंबर, 1999 से पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्देश संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत एक बाध्यकारी नज़ीर थे। समानता के सिद्धांत पर लाभ प्रदान करने के तर्क के संबंध में, अर्थात समान लाभ, जैसा कि **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय के बावजूद कुछ उम्मीदवारों को बोनस अंकों के बहिष्करण के बाद योग्यता सूची को फिर से तैयार करने पर नियुक्त किया गया था, पीठ ने **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के आदेश और बाध्यकारी निर्देशों के विपरीत होने के कारण निवेदन को व्यापक और स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। **मनमोहन शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में, पीठ ने पाया कि **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में जारी किए गए निर्देशों का दायरा दूसरों के लिए बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न्यायालय समीक्षा याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा था

और न ही न्यायालय **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित कर सकता था। कैटेगरी II के कुछ याचिकाकर्ताओं की दलील, जिन्हें 18 नवंबर, 1999 के बाद योग्यता के आधार पर परिणाम की पुनर्गणना पर नियुक्त किया गया था, **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में अवैध और अस्वीकार्य के रूप में खारिज कर दिया गया था। समानता और इसी तरह के व्यवहार के अभिवचन और प्रतिविरोध को यह देखते हुए भी खारिज कर दिया गया कि गलत नियुक्तियों को तेजी से चुनौती दी जानी चाहिए और देर से नहीं, और ऐसी नियुक्तियों से कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इसके अलावा, यह **मनमोहन शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में दर्ज किया गया था कि राज्य ने बार में किए गए तथ्यात्मक प्रस्तुतियों का संतोषजनक ढंग से खंडन करते हुए एक हलफनामा दायर किया था।

11. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने **मनमोहन शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय के अनुच्छेद 24 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था, जो एक दानवीर सिंह के मामले को संदर्भित करता है, जिसकी रिट याचिका की अनुमति दी गई थी और आदेश को अंतिम रूप दिया गया था क्योंकि इसे खण्ड पीठ या उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दानवीर सिंह के मामले में सेवाओं का समापन उचित नहीं था और कानून के अनुसार था। दानवीर सिंह के मामले से संबंधित **मनमोहन शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में अनुच्छेद 24 और 25 में दिए गए तर्क पूर्व न्याय के सिद्धांत और मिसाल के कानून के बीच के अंतर को दर्शाएंगे। पूर्व न्याय का सिद्धांत व्यक्तिगत रूप से संचालित होता है यानी समान पक्षों के बीच का प्रश्नगत मामला पूर्व मुकदमेबाजी में, जबकि मिसाल का कानून रेम में संचालित होता है यानी एक बार तय किया गया कानून उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी के लिए बाध्यकारी होता है। पूर्व न्याय का सिद्धांत पक्षकारों को कार्यवाहियों के लिए इस कारण बाध्य

करता है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए और इसलिए, आगे की कार्यवाही मुकदमेबाजी के पक्षकारों के बीच वर्जित है। इसलिए, पूर्व न्याय का कानून इसी मामले से संबंधित है, जबकि मिसाल का कानून इसी तरह के मुद्दे पर कानून के लागू होने से संबंधित है। पूर्व न्याय के कानून में, निर्णय की शुद्धता सामान्य रूप से महत्वहीन होती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछला निर्णय सही था या गलत, जब तक कि गलत अवधारण उस निकाय के अधिकारिता संबंधी मामले से संबंधित न हो। (**मखीजा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंदौर विकास प्राधिकरण और अन्य देखें**[4])। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के कई निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था जिसमें उन रिट याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की गई है जिन्होंने इस न्यायालय द्वारा **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) मे निर्धारित कट–ऑफ तिथि,18 नवंबर, 1999, से पहले रिट याचिका दायर नहीं की थी। इनमें से कुछ निर्णय 1 अप्रैल, 2014 को **मनमोहन शर्मा के मामले** (पूर्वोक्त) के निर्णय के बाद किए गए थे। इसे टाला जाना चाहिए था क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए था और उनका पालन किया जाना चाहिए था क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का विचलन अनिश्चितता, अनावश्यक और सट्टा मुकदमेबाजी का कारण बनेगा जैसा कि **द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड** बनाम **प्रेम हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड**[5] और **बिहार राज्य सरकार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ और अन्य** बनाम **बिहार शिक्षा सेवा संघ और अन्य**[6] वाले मामले में कठोर शब्दों में अभिनिर्धारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा बड़ी संख्या में अभियोजन आवेदन दायर किए गए हैं जो उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं पुरोबंधित और आच्छादित मुकदमेबाजी में अनुकूल परिणाम

4 (2005) 6 एससीसी 304

5 (1997) 6 एससीसी 450

6 (2012) 13 एससीसी 33

की उम्मीद कर रहे हैं। वे सफल नहीं हो सकते और इन आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है। हमें सूचित किया गया कि बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि लाभ बढ़ाया जाना चाहिए। हम सहमत नहीं हैं और उक्त विवाद को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गलत होगा और स्पष्ट रूप से **कैलाश चंद शर्मा** और **मनमोहन शर्मा** के मामलों (पूर्वोक्त) के अनुपात के विपरीत होगा।

12. हमारा ध्यान नीरज सक्सेना के मामले की ओर भी खींचा गया, जिसके मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर रिट अपील को देरी और निष्क्रियता के आधार पर खारिज कर दिया गया था। खण्ड पीठ के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को भी विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया। नीरज सक्सेना मामले में खंडपीठ का यह फैसला और देरी के आधार पर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने से मिसाल के तौर पर कोई अनुपात तय नहीं होता है। अधिक से अधिक, नीरज सक्सेना के मामले में एकल न्यायाधीश का निर्णय जैसा कि दानवीर सिंह के मामले में है, उन विशिष्ट उम्मीदवारों पर लागू होगा जिनके मामले में निर्णय पूर्व न्याय का सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा। हालांकि, यह भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का सहारा लेने वाले अनुपात और निर्देश को अर्थहीन और अकृत करने का आधार नहीं होगा, **कैलाश चंद शर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) में लागू, जिसकी बाद में **मनमोहन सिंह** के मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा पुष्टि और व्याख्या की गई थी।

13. पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि जिन उम्मीदवारों ने 17 नवंबर, 1999 को या उससे पहले रिट याचिका दायर नहीं की थी, वे चयनित उम्मीदवारों के अंकों से बोनस अंकों को अपवर्जित करके अंकों की पुनर्गणना करने पर नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे। पूर्वोक्त निर्देश उन व्यक्तिगत मामलों पर लागू नहीं

होगा जहां पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, यानी जहां एकल न्यायाधीश या खंडपीठ का निर्णय अंतिम हो गया है क्योंकि इसे खंडपीठ या इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य सभी लंबित रिट याचिकाएं और अपीलें कैलाश चंद्र शर्मा, मनमोहन शर्मा के मामलों (पूर्वोक्त) और वर्तमान मामले में निर्णयों के आधार पर निपटाई और तय की जाएंगी, देरी पर माफी के अधीन, जब न्यायोचित ठहराया और संतोषजनक ढंग से समझाया गया।

14. उपरोक्त शर्तों में अपील और सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाता है।

न्यायाधीश (एल. नागेश्वर राव)

न्यायाधीश (संजीव खन्ना)

नई दिल्ली;

30 अप्रैल, 2019

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।)

अस्वीकरण : यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।